

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

विद्युतकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन सं० उत्कीर्ण करने की योजना का संशोधित
दिशा-निर्देश

विद्युतकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन सं० उत्कीर्ण करने की योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निदेशालय ज्ञापांक-1134 दि०-23.08.17 द्वारा निर्गत किया गया है।

जिसकी कंडिका-5 की उप कंडिका में निम्नवत निदेश उल्लेखित है।

“कोड को उत्कीर्ण हेतु ग्राइडिंग मशीन से UID संख्या Punching किया जाएगा।” जिसे निम्नवत संशोधित किया जाता है।

“कोड को उत्कीर्ण हेतु ग्राइडिंग मशीन से समतल एवं चिकना किया जाएगा तथा धातु के स्टाम्प एवं हथौड़ी की सहायता से UID संख्या Punching किया जाएगा।”

दिशा निर्देश के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

ह०/-
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ह०क० (13) सर्वे-01/2017 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के
आप्त सचिव, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना/अपर निदेशक (तक०) हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/सहायक उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/महाप्रबंधक, जिला
उद्योग केन्द्र, भागलपुर/गया/बांका/ नालन्दा/औरंगाबाद/सिवान/खगड़िया/मुजफ्फरपुर/पटना/उप
विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ह०क० (13) सर्वे-01/2017 1534 पटना, दिनांक- 24.10.17
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/10/17
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।